

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 54/2023

उनवान

मुकेश पुत्र बाबूलाल दरोगा निवासी एकलिंगपुरा(कोटड़ी) तहसील कोटड़ी

प्रार्थी

बनाम

- 1- परमेश्वर पुत्र निम्बूड़ा कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- भूरी पत्नी निम्बूड़ा कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- ओम पुत्र निम्बूड़ा कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- प्रेम पुत्री केली कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- मंजू पुत्री रामदेव कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 6- मांगी पुत्री केली कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 7- गोपाल पुत्र रामदेव कहार निवासी उदयभान गेट, कहार बस्ती, शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 8- बरदीचन्द्र पुत्र मोती मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा
- 9- धन्ना पुत्र रामेश्वर मीणा निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा
- 10- मानी पत्नी रामेश्वर मीणा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 11- छोटी पत्नी रामपाल लोदा निवासी निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 12-13 रामरतन, सांवरा पिता रामपाल लोदा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 14-16 मांगीलाल, सोजीराम, मदन पिता सुखदेव मीणा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 17- अणदीराम पुत्र प्रभू मीणा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 18-19 हीरा, रामेश्वर पिता छोटू लाल भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
- 20- भगवान पुत्र प्रभू मीणा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 21- सुगना देवी पत्नी नारायण कुमावत निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 22- खाना पुत्र माधू लोदा निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 23- कमला पुत्री अमरसिंह यादव निवासी तहनाल गेट शाहपुरा
- 24-25 हीरा, छोटूलाल पुत्र हरजी कुमावत निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 26- घीसू पुत्र गीला कुमावत निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 27- गंगाराम पुत्र हरजी कुमावत निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 28- गुलाबी पत्नी सुरजमल कुमावत निवासी गोपालपुरा(बास्टा) तहसील शाहपुरा
- 29- शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा
- 30- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 06.06.2023


प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 272 रकबा 1.01 है0, 286 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9, 11 लगायत 19, 21, 23, 25 लगायत 27, 29, 30 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 10, 20, 22, 24, 28 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की


जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आरणी में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा